तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज
2/3/20	वकील प्रार्थी उपस्थित। पेशकार सरकार उपस्थित। प्र॰ पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 06/03/2020 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) रानी
06/03/2020	वकील प्रार्थी उपस्थित। पेशकार सरकार उपस्थित। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार रानी को निर्णय मय तहरीर भेजकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु लिखा जावे। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, रानी जिला–पाली (राज०)

पीठासीन अधिकारी– सुमित्रा पारीक (आर.ए.एस)

राजस्व विविध मुकदमा संख्या– 02/2019

तारीख फैसलाः–6/ 03/2020

प्रार्थीः–

हेमन्त पुत्र प्रभूजी, जाति– माली, निवासी–माण्डल,
तहसील–रानी, जिला–पाली, (राज.)

बनाम

अप्रार्थीः–

तहसीलदार, रानी भूमिधारी राजस्थान सरकार

–: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 :–

उपस्थिति–
1–वकील श्री राजेन्द्र गौतम प्रार्थी की ओर से।
2. सरकारी पैरोकार अप्रार्थी।

–निर्णय– **दिनांक 6/3/2020**

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि– ग्राम माण्डल, तहसील रानी जिला–पाली राजस्थान में प्रार्थी की खातेदारी विद्यमान है, जिसके खसरा नम्बर–75,76,77,265 कुल रकबा–76.01 हैक्टयर, जिसमे प्रार्थी के भाई ताराराम व स्वयं हेमाराम जो (विवादित नाम) का 1/4 हिस्सा विद्यमान है। प्रार्थी का नाम हेमन्त है लेकिन ग्रामीण आंचल में लाड प्यार से हेमा भी कहते थे इस कारण से प्रार्थी की खातेदारी में हेमाराम दर्ज कर दिया था। इस संबंध में प्रार्थी ने नियमानुसार राजस्थान राज–पत्र में भाग–7 में पेज नम्बर–2097 में दिनांक–22/10/2018 को हेमाराम पुत्र प्रभूजी की जगह हेमन्त पुत्र प्रभूजी का नाम गजट में पेश किया जो राजस्थान राजपत्र साधारण साधिकार प्रकाशित हुआ। प्रार्थी का आयकर विभाग पेन कार्ड–पासर्पोट–4525645 में अपना नाम हेमाराम पुत्र प्रभूजी की जगह हेमन्त पुत्र प्रभूजी के नाम का इन्द्राज करने के लिये प्रार्थना–पत्र भी पेश किया था, जिसकी जांच भी नियमानुसार की गई जांच श्रीमान के समक्ष अप्रार्थी तहसीलदार, रानी द्वारा पेश की हुई है।

क्रमश पेज 2 पर

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

पत्रावली में सभी संबंधित दस्तावेज पेश है एवं जांच व पत्रावली उपरोक्त प्रकरण में सम्मिलित करे ताकि न्याय करने में सुविधा होगी। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का नाम हेमाराम पुत्र प्रभुजी दर्ज हो गया है जो ग्रामीण आंचल में लाड प्यार से हेमा भी कहते थे इस कारण से हेमाराम गलती से दर्ज हो गया है। प्रार्थी का वास्तविक नाम हेमन्त पुत्र प्रभुजी है, जो शुद्धिकरण करके ग्राम माण्डल तहसील रानी की खातेदारी के खसरा नम्बर– 75, 76, 77, 265 में हेमन्त पुत्र प्रभूजी नाम अंकित किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर होकर अप्रार्थी को तलब किया गया। बाद तलबी अप्रार्थी कि ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया एवं वकील प्रार्थी द्वारा सहखातेदारान का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया एवम् निवेदन किया गया कि प्रार्थी का नाम हेमाराम पुत्र प्रभूजी दर्ज हो गया है जो ग्रामीण आंचल में लाड प्यार से हेमा भी कहते थे इस कारण से हेमाराम गलती से दर्ज हो गया है। प्रार्थी का वास्तविक नाम हेमन्त पुत्र प्रभूजी है जो शुद्धिकरण करे ग्राम मांडल तहसील रानी कि खातेदारी के खसरा नम्बर 75, 76, 77, 265 में हेमन्त पुत्र प्रभूजी नाम अंकित किया जावे एवम् यह भी निवेदन किया कि सहखातेदारो द्वारा इस संबंध में सहमति भी प्रदत की है एवम् पटवारी हल्का द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम शुद्धिकरण करने कि अनुशंषा कि गई है एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी प्रार्थी का नाम शुद्धिकरण किया जाना उचित होना बताया गया है। वकील प्रार्थी ने अपने बहस के संबंध मे न्यायिक दृष्टान्त पेश की।

2015 आर.आर.टी. पेज 961

वकील प्रार्थी कि बहस पर मनन किया गया एवम् पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राज0 भू0 राज0 अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है।

धारा–136 गलतियो को शुद्धिकरणः– भू–अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी भी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियो को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस कर ले।

कमश पेज 3 पर

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

परन्तु जब किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख मे किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नही कि जायेगी जब तक कि पक्षकारो को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नही दिया गया हो।

प्रकरण हाजा में प्रार्थी यह कथन कर रहा है कि उसे ग्रामीण आंचल में लाड प्यार से हेमा भी कहते थे। इस कारण से हेमाराम गलती से दर्ज हो गया है। प्रार्थी का वास्तविक नाम हेमन्त पुत्र प्रभूजी है जिसका शुद्धिकरण चाहा है एवम जहा तक राजपत्र में प्रकाशन का प्रश्न है प्रार्थी द्वारा अपना शपथ पत्र राजपत्र में प्रकाशित करवाया है कि मेरा पुराना नाम हिन्दी में हेमाराम था इसी अनुसार मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम हेमाराम अकित है। अब मै अपना नाम हेमन्त प्रभूजी करवाना चाहता हु भविष्य में मुझे नये नाम हेमन्त प्रभूजी माली नाम से जाना व पहचाना जावे उक्त शपथ पत्र में अपने नाम हेमाराम के स्थान पर नया नाम हेमन्त प्रभूजी माली बाबत गजट नोटिफिकेशन हेतु प्रस्तुत कर रहा हु। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अपना पुराना नाम हेमाराम के स्थान पर नाम परिवर्तन कर हेमन्त ग्रहण किया गया है एवं प्रार्थी द्वारा यह नही बताया कि इसका नाम राजस्व अधिकार अभिलेख में हेमन्त दर्ज था, जिसे इन्द्राज कि लिपिकीय त्रुटी या गलती से हेमाराम किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी यह साबित करने में पूर्णतयाः असफल रहा है कि राजस्व अधिकार अभिलेख में कोई इन्द्राज लिपिकीय त्रुटी या गलती हुई है एवं धारा–136 के तहत राजस्व अधिकार अभिलेख में हुई इन्द्राज संबंधित लिपिकीय त्रुटी या गलती को ही सुधारा जा सकता है। उपरोक्त विवेचन में मेरी विनम्र राय में प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र धारा –136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत आवृत नही होता है, जिसे मै खारिज योग्य मानती हुं।

–आदेश–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। तदनुरूप पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कले.
(S.D.O.) रानी
सहायक कलक्टर रानी

आदेश आज दिनांक– 6/03/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

सहायक कलक्टर रानी
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner